

आदेश सं राडर

18.5.16

पञ्जावली वेस्ट वेम्प महुआ वाला
 पर पेश। मुल वादू का लिख प होना
 से प्रपन्ना पत्र म आगे काडु कापवाडु
 शेष नही होना से पञ्जावली इवारेज
 का जाली है
 पञ्जावली पेशला शुमार होकर
 नाम्बर इन काम हो।

(उम्मेद सिंह राजावत)

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

सैन सहायक कलेक्टर लवाड़ा